रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 1969 (माघ 26, 1890)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 1969 (MAGHA 26, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 16 जनवरी 1969 तक प्रकाशित किए गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 16th January 1969 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

(शून्य)
(Nil)

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

M451GI/68

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	129
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	191
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4.—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	103
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3–उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	563
भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	581
भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	59
भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	159
भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	57
भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	23
भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	145
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	29
पूरक संख्या 7—	
8 फरवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	237
18 जनवरी 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	249

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	129
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	191
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	103
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	563
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	581
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	59
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	159
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	57
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	23
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	145
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	29
SUPPLEMENT NO. 7—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 8th February 1969 ..	237
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 18 January 1969	249

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम् न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1969

संकल्प

स० एफ० 4(70)-बी० सी०/68—14 दिसम्बर, 1967 को वाणिज्यिक बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण के विषय में संसद् में दिए गए नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार एक बैंकिंग आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया गया है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	श्री आर० जी० सरैया	अध्यक्ष
(2)	श्री एन० रामानन्द राव	सदस्य
(3)	श्री भवतोष दत्त	सदस्य
(4)	श्री व्ही जी० पेंडरकर	सदस्य-सचिव

यदि आवश्यक समझा गया तो एक या दो सदस्य बाद में नियुक्त किए जा सकते हैं।

2. बैंकिंग आयोग के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(i) वाणिज्यिक बैंकों के वर्तमान ढांचे की विशेषतः उसके आकार, विस्तार और उनके कार्य-क्षेत्र की जांच करना और उस के ढांचे में सुधार करने के लिए सिफारिशें करना;

(ii) वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र और उनका कार्य बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना;

(iii) वाणिज्यिक बैंकों के काम करने के तरीकों और क्रिया-विधियों तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी नीतियों को सुधारने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए सिफारिशें करना;

(iv) बैंकों के विकास की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बैंकों की लागत और उनके पूंजीगत ढांचे की जांच करना और उपलब्ध अधिशेष और प्रारक्षित निधियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और अपने निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें करना;

(v) बैंकों के लिए कर्मचारी भरती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के मौजूदा तरीकों और तत्सम्बन्धी विषयों की समीक्षा करना और बैंकों के प्रबन्ध सम्बन्धी सभी स्तरों पर अपेक्षित व्यावसायिक संवर्ग गठित करने के लिए सिफारिशें करना;

(vi) सहकारी बैंकों के काम की समीक्षा करना और उपर्युक्त मद (ii) में उल्लिखित बातों को विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना;

(vii) गैर-बैंकिंग मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के काम की समीक्षा करना, उनके ढांचे और काम के तरीकों के सम्बन्ध में जांच करना और उनके क्रमबद्ध विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(viii) मुल्तानियों और सर्राफों जैसी बैंक कारबार करने वाली देशी एजेंसियों के विभिन्न वर्गों के काम की समीक्षा करना, मुद्रा बाजार में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना और इस मूल्यांकन के आधार पर सिफारिशें करना;

(ix) वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में मौजूदा कानूनों की जांच करना,

(x) ऐसे किसी और सम्बद्ध विषय पर जिसे आयोग जांच के विषय से सम्बद्ध समझे या किसी अन्य सम्बद्ध मामले पर, जिसे सरकार विशेष रूप से आयोग के विचारार्थ भेजे, सिफारिशें करना।

3. आयोग का मुख्यालय बम्बई में होगा और यह 1 मार्च, 1969 से काम करना शुरू कर देगा। आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तयार करेगा और आयोग इस सम्बन्ध में जैसा उचित समझेगा आवश्यक जानकारी मांग सकता है और साक्ष्य ले सकता है। भारत सरकार के मन्त्रालय/विभाग आयोग को उसकी आवश्यकतानुसार जानकारी, कागजात और सहायता उपलब्ध करेंगे। रिजर्व बैंक ऐसे सभी सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध करेगा जिनकी आयोग को आवश्यकता होगी और अनुसन्धान तथा अध्ययन के ऐसे कार्य करेगा जिनके लिए आयोग उससे अनुरोध करेगा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक कर्मचारियों की भरती, कार्यालय आदि के स्थान, परिवहन सुविधाओं आदि मामलों में भी आयोग की सहायता करेगा।

4. आयोग अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1970 तक पेश कर देगा।

श्री० श्री० शिरालकर, अतिरिक्त सचिव

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1968

संकल्प

वैद्युत उपकरण : जो कि देश में ही उपलब्ध है अथवा जो निकट भविष्य में शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेंगे, की सूची तैयार करने के बारे में समिति का गठन करना ।

सं० ई० ई० आई० 19(26)/67—भारत सरकार ने जो कि विद्युत शक्ति उत्पन्न करने, पारेषण तथा वितरण हेतु देश में ही उपलब्ध वैद्युत उपकरणों की सूची तैयार करने के लिए एक समिति का गठन अपनी अधिसूचना सं० एस० ओ० 1212 भाग 2, खण्ड 3(ii) दिनांक 28 मार्च, 1968 के अन्तर्गत किया था । समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । समिति की सिफारिशें तथा उन पर सरकार के निर्णय संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनुबन्ध

क्र० सं०	समिति की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1	2	3
1.	विद्युत जनित्रण, पारेषण तथा वितरण हेतु आवश्यक वैद्युत उपकरणों की समिति द्वारा तैयार की गई सूची का आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में सम्मिलित कर तथा सभी प्राधिकारियों को सूचित करके इसका वृहत प्रसारण किया जाए ।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया ।
2.	उपकरणों की सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाए तथा उस वर्ष में हुए विकास के अनुरूप सुधार किया जाए ।	वही
3.	ऐसे उपकरण जो देश में उपलब्ध हों के लिए किसी भी विद्युत परियोजना हेतु जिनमें समवेष्ट करार तथा टर्नकी काम भी सम्मिलित हैं, आयात लाइसेंस तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की विशिष्ट अनुमति के बिना जारी न किये जाएं ।	अन्तिम अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकारी तकनीकी विकास महानिदेशालय होगा जो कि अनुमति देते समय देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखेगा ।
4.	वास्तविक उपभोक्ताओं को देश में उपलब्ध होने वाले उपकरणों की डिलीवरी में देरी होने की संभावनाओं, तकनीकी रूप से अनुपयुक्त होने तथा अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होने के कारण आयात करने हेतु आयात आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए । समिति ने यह भी देखा है कि इन मामलों में निर्णय करने में काफी विलम्ब किया गया है जिससे कि परियोजनाओं के कार्यन्वियन में संभावित विलम्ब हुआ । इस समिति द्वारा आयात के अनुमोदन करने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात को सीधे ही आयात आवश्यकता की अनुमति, तकनीकी विकास महानिदेशालय से बिना परामर्श किए जारी कर देगा ।	इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है । तकनीकी विकास महानिदेशालय ही सभी अनुमति प्रदान करने का प्राधिकारी होगा ।
5.	ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए जिन्हें कि देश में उपलब्ध नहीं दिखाया गया है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तकनीकी विकास महानिदेशालय से बिना परामर्श किए ही सीधे ही अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाए ।	इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है । तकनीकी विकास महानिदेशालय ही सभी अनुमति प्रदान करने का प्राधिकारी होगा ।
6.	जहां तक संभव हो मूल्य में वरीयता वास्तविक लागत	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।

1	2	3
	के आधार पर दी जानी चाहिए न कि विदेशी सम्भरणकर्ताओं द्वारा उल्लिखित मूल्य के आधार पर क्योंकि ऐसे मूल्य मौलिक देशों में उन उपकरणों के वास्तविक मूल्यों को प्रतिविलम्बित नहीं करते ।	
7.	उन सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों को जो कि विद्युत परियोजनाओं के नमूने आदि तैयार करते हैं को परामर्श दिया जाए कि उनके नमूने देश में उपलब्ध होने वाले उपकरणों पर आधारित हों ।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।
8.	विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं मंगवाते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी ऐसी वस्तु के आयात की अनुमति नहीं होगी जो देश में उपलब्ध हों तथा देशी उपकरणों के प्रयोग के आधार पर उनकी प्रयोगात्मक गारन्टी भी दी जाए ।	इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।
9.	अध्यक्ष ने देश के यंत्र उत्पादकों के इन विचारो को समिति के समक्ष रखा कि ऐसे यंत्र उत्पादक जो कि तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में है और जिन्होंने किसी परियोजना हेतु आवश्यक यंत्रों के लिए सफल निविदाएं दी हैं उन्हे ऐसे यंत्रों के अयात की सीधी अनुमति होनी चाहिए जो कि देश में किसी के द्वारा निर्मित न हो रहे हों । समिति ने सिफारिश की है कि इन विचारों को सरकार के समक्ष विचारार्थ रखा जाए ।	देशी यंत्र उत्पादको के यंत्रों के आयात हेतु प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाए ।

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1969

संकल्प

सं० 11(1)/67-ई० आई० एम०—स्टील फोर्जिंग उद्योग, इंजीनियरी उद्योगों के विकास तथा अन्य उद्योगों जैसे कि इंजीनियरी उद्योग तथा मोटर गाड़ी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, कृषि सम्बन्धी मशीनी उद्योग, मिट्टी ढोने के उपकरण उद्योग, सुरक्षा भण्डारों के लिए खनन उपकरण उद्योग, रेल के डिब्बे आदि के उद्योगों के लिए मूलोयोग है, इसके बढ़ते हुए महत्व को दृष्टि में रखते हुए तथा स्टील फोर्जिंग की आवश्यकताओं के सविस्तार सप्रभावी मूल्यांकन की दृष्टि से और इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों के समन्वय की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि उद्योग की समस्याओं पर किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता निकाय द्वारा सतत समीक्षा की जानी चाहिए । अत: सरकार ने तदनुरूप स्टील फोर्जिंग इण्डस्ट्री के लिए एक नामिका (पैनल) गठित करने का निश्चय किया है ।

2. नामिका की रचना निम्न प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

1. संयुक्त सचिव,
   औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय,
   (औद्योगिक विकास विभाग) ।

सदस्य

2. श्री अमर जीत सिंह,
   संयुक्त निदेशक, रेलवे स्टोर (डी०),
   रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ।
3. डा० डी० पी० चटर्जी,
   अतिरिक्त महानिदेशक,
   आर्डनेन्स फैक्टरी,
   जी० स्वसप्लेनेड ईस्ट
   कलकत्ता-1,
   सुरक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ।
4. श्री आर० पी० शर्मा,
   कार्यकारी सचिव,
   संयुक्त संयंत्र समिति,
   कलकत्ता, इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय
   (लोहा तथा इस्पात विभाग) ।
5. श्री एस० पी० बंसल,
   वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
   उद्योग तथा खनिज प्रभाग,
   योजना आयोग ।
6. निदेशक,
   केन्द्रीय यांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान,
   दुर्गापुर,
   वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ।
7. श्री आर० दत्त,
   मुख्य डिजाइन इंजीनियर (उत्पादन),
   राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०,
   नई दिल्ली ।

8. श्री डी० आर० शारदा,
मैनेजिंग पार्टनर,
मे० नेशनल स्टील एण्ड जनरल मिल्स,
पटेल मार्ग,
गाजियाबाद ।

9. श्री पी० बी० जयकुमार,
विपणन निदेशक (इंजीनियरी तथा फोर्जिंग प्रभाग),
मे० गेस्ट, कीन, विलियम्स लि०, जीवन दीप
1 मिडिल्टन स्ट्रीट,
कलकत्ता-16 ।

10 श्री नीलकंठ ए० कल्यानी,
निदेशक तथा पार्टनर प्रबन्ध अभिकर्ता,
मे० भारत फोर्ज कं० लि०
मुधवा, पूना-1 ।

11. श्री ए० कृष्णामूर्ति,
निदेशक तथा महा-प्रबन्धक,
मे० शार्डलो इण्डिया लि०,
हजूर गार्डन,
मद्रास-11 ।

12. श्री पी० एन० प्रसाद,
मुख्य अधीक्षक,
फोर्ज शाप,
फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना,
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०,
रांची

13. श्री डी० आर० मलिक,
परियोजना प्रशासक,
केन्द्रीय फाउण्ड्री फोर्ज संयत्र,
हरिद्वार ।

14. श्री सी० जे० दवे,
मे० एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० प्रा० लि०,
परामर्शी इंजीनियर, इंजीनियरी केन्द्र,
9, मैथिउ रोड,
बम्बई-4 ।

सदस्य-सचिव

15. श्री डी० पी० सेन गुप्ता,
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

3. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) चौथी तथा पांचवी योजनाओं के लिए निदर्शन आकार तथा विशिष्ट विवरण के अनुसार मांग का प्रक्षेपीकरण,

(ख) जिन एककों में पहले से उत्पन्न हो रहा है, उनकी क्षमता की समीक्षा करना, यदि कमी हो तो उसको पूरा करना,

(ग) वर्तमान एककों में या तो उत्पादन में वृद्धि करना या नया उत्पादन स्तर कायम करने में विविधता लाना या उत्पादन के नवीन क्षेत्र ढूंढना,

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रयोजनों को हल करने के लिए सहायता देना,

(ङ) कच्चे माल, मरम्मत, फालतू पुर्जों आदि के बारे में यदि कोई समस्याएं हों,

(च) इस उद्योग के लिए ऐसी मशीनों तथा उपकरणों के उत्पादन का विकास करना, जिनका अब तक विकास नहीं हुआ है, जिससे कि विदेशी मुद्रा पर कम आधारित रहना पड़े, और

(छ) इस सम्बन्ध में समय-समय पर उत्पादन होने वाले अन्य मामले ।

4. इस परामर्शदात्री नामिका की बैठक 6 महीने में एक बार यदि आवश्यकता हो तो एकाधि बार स्थिति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए स्थानों पर होगी । यह अपने द्वारा किए गए मामलों का प्रतिवेदन समय-समय पर सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

5. नामिका का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 4th February 1969

No. 4/69/68-*AIS(IV)*.—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 4/69/69-AIS(IV), dated the 28th December, 1968 published in the Gazette of India dated the 28th December 1968 the following amendment is ordered in Appendix IV to the Rules for the Indian Forest Service Examination, 1969 :—

"Note (1) *below* paragraph 7 of Appendix IV (Regulations relating to the physical Examination of candidates) is *deleted*".

....

No. 4/75/68-*AIS.IV*.—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 4/75/69-AIS(IV) dated the 4th January, 1969 published in the Gazette of India dated the 4th January, 1969 the following amendment is ordered in Appendix IV to the Rules for the Indian Forest Service (Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers) Examination, 1969 :—

"Note (1) below paragraph 7 of Appendix IV (Regulations relating to the physical Examination of candidates) is deleted."

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd February 1969

No. F.4(70)-*BC*/68.—In pursuance of the policy statement on social control over commercial banks made in the Parliament on the 14th December, 1967, it has been decided to set up a Banking Commission consisting of the following persons :

Chairman

(1) Shri R. G. Saraiya.

Members

(2) Shri N. Ramanand Rao.

(3) Shri Bhabatosh Datta.

Member-Secretary

(4) Shri V. G. Pendharkar.

One or two members may be added later, if considered necessary.

2. The terms of reference of the Banking Commission will be as follows :

(i) To enquire into the existing structure of the commercial banking system having particular regard to size, dispersion and area of operation and to make recommendations for improving the structure;

(ii) To make recommendations for extending the geographical and functional coverage of the commercial banking system;

(iii) To make recommendations for improving and modernising the operating methods and procedures and the management policies of commercial banks;

(iv) To examine the cost and capital structure and to review the adequacy of available surplus and reserves, having regard to the developmental needs of the banking system and to make recommendations in the light of the findings;

(v) To review the existing arrangements relating to recruitment, training and other relevant matters connected with manpower planning of bank personnel and to make recommendations for building up requisite professional cadre of bank personnel at all levels of management;

(vi) To review the working of cooperative banks and to make recommendations with a view to ensuring a coordinated development of commercial and co-operative banks, having regard, in particular, to (ii) above;

(vii) To review the role of various classes of non-banking financial intermediaries, to enquire into their structure and methods of operation and recommend measures for their orderly growth;

(viii) To review the working of the various classes of indigenous banking agencies such as multanies and shroffs, evaluate their utility in the money market complex and to make recommendations in the light of the findings;

(ix) To review the existing legislative enactments relating to commercial and cooperative banking;

(x) To make recommendations on any other related subject matter as the Commission may consider germane to the subject of enquiry or on any related matter which may be specifically referred to the Commission by the Government.

3. The Commission will have its headquarters at Bombay and will start functioning with effect from the 1st March, 1969. It will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Commission. The Reserve Bank will make available all relevant data which the Commission may need and organise such research and studies as the Commission may request. The Reserve Bank will also assist the Commission in other ways including staffing, accommodation, transport facilities and the like.

4. The Commission will submit its report by December, 1970.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. SHIRALKAR, Addl. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st December 1968

RESOLUTION

Constitution of a Committee to prepare a list of electrical equipments which are available indigenously or which would be available in the immediate future.

No. EEI-19(26)/67.—The Government of India had constituted a Committee to prepare a list of electrical equipment which are available indigenously for generation, transmission and distribution of electric power and for which no imports will be necessary in their Notification No. S.O.1212-Pt.II Sec. 3(ii), dated 28th March, 1968. The Committee has since submitted its report. The recommendations of the Committee and Government's decisions thereon are contained in the Annexure.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE

Sl. No.	Recommendations of the Committee	Decision of Government
1.	The list of electrical equipment required for generation, transmission and distribution of electric power compiled by the Committee should be given wide publicity through incorporation in the Import Trade Control Policy Book and dissemination to all authorities.	Accepted.
2.	The list of equipment should be scrutinised once every year and brought up to date in the light of the developments that would have taken place during the year.	Accepted.
3.	No import licence should be granted from any source for such of the equipments as are available indigenously for power projects including package deals and turn-key jobs without specific clearance from DGTD/CWPC.	The authority responsible for the final clearance will be DGTD who shall take the question of indigenous manufacture into full consideration.
4.	A Committee for indigenous clearance be set up to dispose of expeditiously request from actual users for the import of indigenously available items on grounds of protracted delivery, technical unsuitability or relatively higher prices. The Committee noted that there is considerable delay in deciding such issues leading to probable delay in the execution of projects. After the clearance by this Committee for import, the CW & PC be authorised to issue indigenous clearance directly to CCI & E without further reference to the DGTD.	The recommendation is not accepted. The DGTD will be responsible for recommending all clearances.
5.	The CW & PC may be authorised to give indigenous clearance without further reference to the DGTD for the import of such items as have been indicated as non-obtainable indigenously.	The recommendation is not accepted. The authority responsible for import clearance will be the DGTD only.
6.	As far as possible, price preference be based on actual costing and not only on the lowest quotations received from overseas suppliers as such quotations may not always reflect the real prices in the countries of origin.	Accepted.

Sl. No.	Recommendations of the Committee	Decision of Government
7.	Agencies, Governmental or otherwise, who are responsible for the design and preparation of power projects be advised that the design shall be based on the equipment available indigenously.	Accepted.
8.	While inviting tenders for the execution of power projects it shall be made clear in the tender that no import of items available indigenously will be permitted and that the performance guarantee shall also be given on the basis of the use of indigenous equipment.	Accepted.
9.	The Chairman placed before the Committee the views of indigenous instrument manufacturers that such of the instrument manufacturers held on the list of the DGTD who have successfully quoted against tenders for instrumentation for a project be permitted to import directly such of those instruments as are not being manufactured indigenously by any party whatsoever. The Committee recommended that these views be placed before the Government for consideration.	The proposals for import of instruments by indigenous inrstrument manufacturers will be considered on merits.

The 1st February 1969

RESOLUTION

Constitution of a Panel for the Steel Forgings Industry

No. 11(1)/67-*EI(M)*.—In view of the growing importance of the role of the Steel Forgings Industry as a basic industry for the development of engineering industries and other industries such as automobiles, machine tools, agricultural machinery, earth moving equipment, mining equipment for Defence stores, rolling stock etc., and in view of the need for making an effective assessment of the requirement of steel forgings in greater detail and for correlating various efforts made in that field, it is considered necessary that the problems of the industry should be kept under constant review by an expert advisory body. Government have, accordingly, decided to constitute a Panel for the Steel Forgings Industry.

2. The Panel will consist of :

Chairman

(i) Joint Secretary, Ministry of Industrial Development & Company Affairs (Department of Industrial Development).

Members

(ii) Shri Amarjeet Singh, Joint Director, Railway Stores(D), Ministry of Railways (Railway Board).

(iii) Dr. D. P. Chatterjee, Additional Director General, Ordnance Factories, 6-Esplanade East, Calcutta-1, Ministry of Defence (Department of Defence Production).

(iv) Shri R. P. Sharma, Executive Secretary, Joint Plant Committee, Calcutta, Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Iron and Steel).

(v) Shri S. P. Bansal, Senior Research Officer, Industry and Minerals Division, Planning Commission.

(vi) Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, Council of Scientific and Industrial Research.

(vii) Shri R. Dutta, Chief Design Engineer (Production), National Industrial Development Corporation Limited, New Delhi.

(viii) Shri D. R. Sharda, Managing Partner, Messrs National Steel and General Mills, Patel Marg, Ghaziabad.

(ix) Shri P. B. Jayakumar, Marketing Director (Engineering and Forging Division), Messrs Guest, Keen, Williams Ltd., 'Jeevan Deep', 1- Middleton Street, Calcutta-16.

(x) Shri Neelakanth A. Kalyani, Director and Partner, Managing Agents, Messrs Bharat Forge Company Limited, Mundhwa, Poona-1.

(xi) Shri A. Krishnamoorthy, Director and General Manager, Messrs Shardlow India Limited, Huzur Gardens, Madras-11.

(xii) Shri P. N. Prasad, Chief Superintendent, Forge Shop, Foundry Forge Project, Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi-4.

(xiii) Shri D. R. Malik, Project Administrator, Central Foundry Forge Plant, Hardwar.

(xiv) Mr. C. J. Dave, Messrs M. N. Dastur & Co. (P) Limited, Consulting Engineers, Engineering Centre, 9-Mathew Road, Bombay-4.

Member-Secretary

(xv) Shri D. P. Sen Gupta, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

3. The terms of reference of the Panel are :

(a) Projection of demand typewise, sizewise, specificationwise for Fourth and Fifth Plans;

(b) Review of capacities, units already in production, gap, if any, to be filled;

(c) Diversification of existing units either to increase production or produce new range of production;

(d) Assistance to be given for achieving the purposes mentioned in (b) and (c) above;

(e) Problems, if any, regarding raw materials maintenance spares etc.;

(f) Development of production machinery and equipment for this industry as are not developed so far; to reduce the dependence on foreign exchange; and

(g) Other matters of interest that may arise from time to time.

4. This advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently, if occasion warrants, at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by it.

5. The term of the Panel will be two years.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Cooperation)

New Delhi-1, the 1st February 1969

No. 1-15/68.*GOP(Suppl. List* 18).—In continuation of this Department Notification No. 1-15/68 GOP (Supp. List 17), dated the 26th December, 1968, the following wholesale consumer cooperative society is added to the Schedule of Cooperative Societies published alongwith the Notification No. 1-25/65.CC, dated 27-5-1966 containing the Guarantee Scheme for Wholesale Consumer Cooperatives :

The Bhuj Central Cooperative Consumers Store Ltd., Bhuj, District Kutch (Gujarat).

V. V. NATHEN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi-1, the 6th February 1969

No. 1/4/68-*CTE*.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research has been reconstituted for a period of

three years with effect from 1st April, 1968 and shall consist of the following :—

President

1. Prime Minister.

Vice-President

2. Minister of Education, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi.

Members

3. Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Government of India, North Block, New Delhi.
4. Minister of Industrial Development & Company Affairs, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi.
5. Dr. B. D. Nag Chaudhuri, Member (Science), Planning Commission, and Chairman of the Committee on Science & Technology, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi-1.
6. Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-1.
7. Dr. S. Bhagavantam, Scientific Adviser to the Minister of Defence, South Block, New Delhi-11.
8. Shri K. K. Birla, 15, India Exchange Place, Calcutta-1.
9. Dr. Brahm Prakash, Director, Metallurgy Group, Bhabha Atomic Research Centre, Apollo Pier Road, Bombay-1.
10. Dr. Satish Dhawan, Director, Indian Institute of Science, Bangalore-12.
11. Dr. K. A. Hamied, Chairman, CIPLA Laboratories, 289, Bellasis Road, Byculla, Bombay-8.
12. Shri H. V. R. Iengar, Chairman, E.I.D. Parry Ltd., Parry's Corner, Post Box No. 12, Madras-1.
13. Shri Shrenik K. Lallbhai, "Pankore's Naka". Shahibagh, Ahmedabad.
14. Shri K. N. Mookerjee, Director, Incheck Tyres Ltd., Leslie House, 19, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta-13.
15. Shri D. S. Mulla, Chairman, Development Council on Machine Tools, Express Building, Church Road, Bombay-1.
16. Shri P. A. Narielwala, Resident Director, Tata Industries (P) Ltd., National Insurance Building, Parliament Street, Post Box No. 68, New Delhi-1.
17. Shri G. B. Newalkar, Chairman, Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation, 45, Vir Nariman Road, Bombay Life Building, 5th Floor, Fort, Bombay.
18. Dr. M. D. Parekh, General Manager (Technical), National Rayon Corporation, Ewart House, Bruce Street, Fort, Bombay-1.
19. Dr. A. Ramachandran, Director, Indian Institute of Technology, Madras.
20. Shri K. B. Rao, Adviser (Industry & Minerals), Planning Commission, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi-1.
21. Dr. A. K. Saha, Saha Institute of Nuclear Physics, 92, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9.
22. Shri G. K. Singhania, J. K. Building, Kanpur.

Ex-Officio-Members

23. Director General, Council of Scientific & Industrial Research.
24. Financial Adviser to CSIR, Ministry of Finance, New Delhi.

K. G. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy. *Ex-officio*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969